समाहरणालय गोपालगंज
(जिला गोपनीय प्रशाखा)
पत्रांक 3091 /सी0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज,
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज,
जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज,
जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज,
जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज,
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गोपालगंज,
जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज,
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज,
जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज,
सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गोपालगंज।

गोपालगंज, दिनांक 15 .12.2012

विषयः— ***प्रखण्ड स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के संबंध में।***

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला स्तर पर प्रत्येक माह के 5वीं तारीख को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की मासिक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें आपके विभाग से संबंधित विभिन्न योजना एवं मुद्दे, जो उनसे जुड़े होते हैं, का मामला 10वीं तारीख को होनेवाली जिला समन्वयक समिति की बैठक में आपके द्वारा उठाया जाता है। पूर्व में ही आपको निदेश दिया गया था कि 5वीं तारीख के पूर्व आप अपने विभाग से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी, यथा, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा बैठक कर, वैसे मामले जिसमें कठिनाई हो रही है, समीक्षा कर लें एवं 5वीं तारीख के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की बैठक में अधोहस्ताक्षरी के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर लें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा 5वीं तारीख के पूर्व बैठक नहीं किये जाने के कारण वैसे मामलों को ध्यान में नहीं लाये जाने के फलस्वरूप त्वरित गति से निष्पादन नहीं होता है। प्रखण्ड स्तर पर समन्वय नहीं होने के कारण कार्य की गति धीमी हो गयी है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि 5वीं तारीख के पूर्व अपने विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा कर उसमें उठाये गये मुद्दों के समाधान हेतु 5वीं तारीख को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक में समीक्षा हेतु प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहें।

विश्वासभाजन,

(ह0) 15/12/2012
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 3091 /सी0, गोपालगंज, दिनांक 15 .12.2012

प्रतिलिपिः— 1. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज/उप विकास आयुक्त, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह0) 15/12/2012
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

समाहरणालय गोपालगंज
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्रांक 130 / सी0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज,
उप विकास आयुक्त, गोपालगंज,
निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज,
निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गोपालगंज,
अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं हथुआ,
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज एवं हथुआ,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला गोपालगंज,
सभी अंचल अधिकारी, जिला गोपालगंज,
कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय गोपालगंज।

गोपालगंज, दिनांक 16.01.2012

विषयः– *ग्राम पंचायत कार्यालय एवं हल्का कचहरी के निरीक्षण के संबंध में।*

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम पंचायत / हल्का कचहरी कार्यालय की निरीक्षण करने के उपरान्त निरीक्षण टिप्पणी में बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के अंतर्गत सभी बिन्दुओं पर टिप्पणी अंकित नहीं की जाती है, फलतः निरीक्षण का उद्‌देश्य पूरा नहीं हो पाता है। निम्नांकित बिन्दुओं के आलोक में निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण टिप्पणी तैयार करना आवश्यक है।

पंचायत कार्यालयः– (1)परिचय, (2)भवन, (3)प्रभार (4)स्थापना (5)पूर्व निरीक्षण (6) प्रभार पंजी (7)पत्राचार (8)अनुक्रमणी पंजी (9)कार्य–पत्रक, (10)लंबित पत्रों की पंजी (11)प्रतिवेदन एवं विवरणी चार्ट (12)रक्षी संचिका, (13)उपस्थिति पंजी, (14)पंजियों की पंजी, (15)आवंटन पंजी, (16)सूचना का अधिकार पंजी, (17)अंकेक्षण पंजी, (18)स्थायी भण्डार पंजी(पंजी–96, बी0एम0आर0–328) (19) अस्थायी भंडार पंजी, (20) योजना पंजी, (21) प्राप्त पत्रों की पंजी (पंजी–60, फॉर्म–9) (22) निर्गत पत्रों की पंजी (पंजी–61, फॉर्म–10), (23) जन शिकायत पंजी, (24) आदेश पंजी(पंजी–26ए), (25) लेखन सामग्री भण्डार पंजी, (बी0एम0आर0–124) (26) चेकबुक भण्डार पंजी, (27) निरीक्षण पुस्तिका पंजी (पंजी–26), (28) अस्थायी अग्रिम पंजी, (29) अभिश्रव पंजी, (30) सहायक रोकड़बही एवं सामान्य रोकड़बही (31) रक्षी संचिका एवं संचिकाओं का संधारण (32) इंदिरा आवास योजना (33)एस0जी0एस0वाई0 (34) फसल क्षति अनुदान, (35) बी0आर0जी0एफ0 (36) इंदिरा गॉधी राष्टीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (37) इंदिरा गॉधी राष्टीय विधवा पेंशन योजना (38) लक्ष्मीवाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, (39) इंदिरा गॉधी राष्टीय निःशक्तता पेंशन योजना (40) बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन (41) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (42) छात्रवृत्ति (43) कबीर

अन्त्येष्टि अनुदान योजना (44) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (45) द्वादश वित्त आयोग अन्तर्गत योजना (46) जन्म–मृत्यु पंजीकरण प्रतिवेदन की पंजी (47) विवाह निबंधन पंजी (48) ग्राम सभा पंजी (49) कृषि विभाग से संबंधित योजना यथा, डीजल अनुदान, मक्का क्षति अनुदान, आलू–प्याज संबंधित अनुदान (50) विभिन्न प्रकार की लागू अद्यतन विकास एवं कल्याण योजना।

हल्का कचहरीः– (1)पंजी IA- रेंटरौल (2) पंजी IB- खतियान (3) मॉग पंजी–लगान एवं विविध सैरात (4) पंजी–7–दाखिल खारिज (5) पंजी IBA- बंदोबस्ती की पंजी (6) चालान रजिस्टर–रेमिटेंस पंजी (7) लगान रसीद बही पंजी (अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त) (8) पंजी–27 आवेदन–पंजी (दाखिल खारिज) (9) पंजी–32B सरकार द्वारा रैयती भूमि की खरीदगी (10) पंजी–61A–पोस्टकार्ड चेतावनी निर्गत पंजी (11) पंजी–62A– रेंट कलेक्शन (जमीन के भुगतान की पंजी) (12) पंजी–96–स्टॉक एवं स्टोर पंजी (13) गॉव नोटबुक (14) खेसरा प्लॉट इंडेक्स पंजी (15) ग्राम नक्शा की पंजी (16) थाना नक्शा (17) महादलित सर्वे की पंजी (18) वासगीत पर्चा पंजी (19) भूदान पंजी (20) भू–हदबंदी पंजी (21) आम एवं खास भूमि की पंजी एवं सत्यापन पंजी (22) भूमि उपलब्ध/अधियाचना पंजी इत्यादि।

अतः निदेश है कि उक्त कार्यालयों के निरीक्षण के कम में बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के अनुरूप उपर वर्णित बिन्दुओं पर विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

14/01/2012

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

16/01/2012

समाहरणालय गोपालगंज
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्रांक 2577/सी0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज,
उप विकास आयुक्त, गोपालगंज,
अपर समाहर्त्ता, (आपदा प्रबंधन), गोपालगंज,
निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज,
निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गोपालगंज,
अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं हथुआ,
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज एवं हथुआ,
स्थापना उप समाहर्त्ता, गोपालगंज,
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला बाल विकास शाखा, गोपालगंज।

गोपालगंज, दिनांक 13 .10.2011

विषयः— *प्रखण्ड, अंचल एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय का निरीक्षण के संबंध में।*

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रखण्ड, अंचल एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की निरीक्षण टिप्पणी में बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के अनुरूप सभी बिन्दुओं पर टिप्पणी अंकित नहीं की जाती है, फलतः निरीक्षण का उद्‌देश्य पूरा नहीं हो पाता है। अतः निदेश है कि विषयांकित कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम में सामान्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर जॉच/ समीक्षा प्राथमिकता के आधार पर की जाय एवं निरीक्षण टिप्पणी में इससे संबंधित टिप्पणी अवश्य अंकित की जाय।

(1) परिचय, (2) भवन, (3)प्रभार(4)स्थापना(5)पूर्व निरीक्षण(6)स्टाफ पंजी,(7)प्रभार पंजी(8)पत्राचार(9) अनुक्रमणी पंजी(पंजी—62) (10)कर्मपुस्त(11)संचिका गति पंजी(12) कार्य—पत्रक, (13)लंबित पत्रों की पंजी(14) प्रतिवेदन एवं विवरणी चार्ट(15) रक्षी संचिका, (16) सेवापुस्त, (17) भविष्य निधि पासबुक, (18) वेतन—वृद्धि पंजी (19) सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन संबंधी सूचना पंजी (20)प्रतिभूति बंध—पत्र पंजी, (21) प्रधान सहायक नोट—बुक, (बी0एम0आर0—117), (22) अवकाश पंजी, (23) उपस्थिति पंजी, (24) संदेशवाहक पंजी, (25) चपरासी बही, (26) पंजियों की पंजी, (27) आवंटन पंजी, (28)लोकसभा/ विधानसभा प्रश्नों की पंजी, (29) उच्च न्यायालय से संबंधित मामला (30) सूचना का अधिकार पंजी, (31) अंकेक्षण पंजी, (32) स्थायी भण्डार पंजी(पंजी—96, बी0एम0आर0—328) (33) अस्थायी भंडार पंजी(पंजी—96, बी0एम0आर0—328), (34) योजना पंजी, (35) वाहन लॉगबुक, (36) वाहन इतिहास पंजी, (37) बजट कन्ट्रोल पंजी, (38) वेतन भरपाई पंजी (बी0एम0आर0—126) (39) विपत्र पंजी, (40) सेवापुस्त पंजी, (41) प्राप्त पत्रों की पंजी (पंजी—60, फॉर्म—9) (42) निर्गत पत्रों की पंजी (पंजी—61, फॉर्म—10, (43) जन शिकायत पंजी, (44) आदेश पंजी(पंजी—26ए) (45) विशेषदूत पत्र प्रेषण पंजी, (46) डाक टिकट लेखा पंजी, (47) भ्रमण दैनन्दिनी पंजी, (48) आवास आवंटन पंजी, (49) लेखन सामग्री भण्डार पंजी, (बी0एम0आर0—124) (50) चेकबुक भण्डार पंजी, (51) नाजिर रसीद भंडार पंजी (बी0एम0आर0—303, 310), (52) पुस्तक भण्डार पंजी (पंजी—77, फॉर्म—12 एवं 13), (53) अग्र दैनिकी पंजी (बिहार अभि0हस्तक, 1917 नियम 45, 46, फॉर्म—18), (54) स्मार अग्र दैनिकी पंजी (बिहार अभि0हस्तक, 1917 नियम 42, 43, फॉर्म—19), (55) निरीक्षण पुस्तिका पंजी (पंजी—26), (56) अस्थायी चरित्र पुस्त पंजी, (बी0एम0आर0—163) रोकड़बही, (57) अस्थायी अग्रिम पंजी, (58) अभिश्रव पंजी, (59) डी0सी0विपत्र पंजी (60) रक्षी संचिका एवं संचिकाओं का संधारण इत्यादि।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निरीक्षी पदाधिकारी निम्नांकित कार्यालयों के निरीक्षण के कम में उस कार्यालय में संधारित निम्न योजनाओं/ पंजियों की भी समीक्षा करेंगे तथा उससे संबंधित टिप्पणी अपनी

<u>प्रखण्ड कार्यालयः—</u> (1) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, (2) विधायक कोष योजना, (3)विधान पार्षद कोष योजना (4)इंदिरा आवास योजना (5)एस0जी0एस0वाई0 (6) फसल क्षति अनुदान ,(7)बी0आर0जी0एफ0 (8) इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (9) इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (10) लक्ष्मीवाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, (11) इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (12) बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन (13) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (14) छात्रवृत्ति (15) कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना (16) मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना (17) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (18) द्वादश वित्त आयोग अन्तर्गत योजना (19) कब्रिस्तान की घेराबंदी (20) अन्त्योदय योजना (21) अन्नपूर्णा योजना (22) जन्म—मृत्यु पंजीकरण प्रतिवेदन की पंजी (23) कृषि विभाग से संबंधित योजना यथा, डीजल अनुदान, मक्का क्षति अनुदान, आलू—प्याज संबंधित अनुदान (24) निर्वाचन (25) विभिन्न प्रकार की लागू अद्यतन विकास एवं कल्याण कार्य योजना।

<u>अंचल कार्यालयः—</u> (1)पंजी IA- रेंटरौल (2) पंजी IB- खतियान (3) मॉग पंजी—लगान एवं विविध सैरात (4) पंजी—7—दाखिल खारिज (5) पंजी IXA- बंदोबस्ती की पंजी (6) चालान रजिस्टर—रेमिटेंस पंजी (7) लगान रसीद बही पंजी (अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त) (8) लगान रसीद निर्गत पंजी (अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)(9) पंजी—8 विविध वाद (10) पंजी—5— विभागीय विविध वाद, बंदोवस्ती वाद, राजस्व विविध वाद (11) पंजी—9 सर्टिफिकेट वाद की पंजी (12) पंजी—27 आवेदन—पंजी (दाखिल खारिज) (13) पंजी—32B सरकार द्वारा रैयती भूमि की खरीदगी (14) पंजी—61A—पोस्टकार्ड चेतावनी निर्गत पंजी (15) पंजी—62A— रेंट कलेक्शन (जमीन के भुगतान की पंजी) (16) पंजी—85— अग्रिम सामंजन पंजी (17) पंजी—96—स्टॉक एवं स्टोर पंजी (18)सड़क एवं पुलिया की पंजी (19) गॉव नोटबुक (20) खेसरा प्लॉट इंडेक्स पंजी (21) ग्राम नक्शा की पंजी (22) थाना नक्शा (23) महादलित सर्वे की पंजी (24) अतिक्रमण वाद पंजी (25) वासगीत पर्चा पंजी (26) भूदान पंजी (27) भू—हदबंदी पंजी (28) भू—बंदोवस्त पंजी एवं वितरण पंजी (29) आम एवं खास भूमि की पंजी एवं सत्यापन पंजी (30) चौकीदारों की स्थापना संबंधित (31) श्रम कानून (32) नीलाम—पत्र वाद (33) भूमि उपलब्ध/अधियाजना पंजी।

<u>बाल विकास परियोजना कार्यालयः—</u> (1) उद्देश्य (2) सेवाएँ (पूरक पोषाहार, विद्यालय पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जॉच, संदर्भित सेवाएँ एवं प्रतिरक्षीकरण) (3) ऑगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के चयन की स्थिति (4) पोषाहार (5) मानदेय (6)बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा केंद्र का निरीक्षण ,(7) दूरभाष द्वारा ऑगनबाड़ी केंद्र का सत्यापन एवं कार्रवाई (8) जन्म—मृत्यु प्रतिवेदन (9) मुस्कान एक अभियान योजना (10) केंद्रों में ग्रोथ चार्ट का संधारण (11) मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (12) किशोरी—नारी शक्ति योजना एवं विभिन्न प्रकार की लागू योजना इत्यादि।

अतः निदेश है कि उक्त कार्यालयों के निरीक्षण के कम में बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के अनुरूप उपर वर्णित बिन्दुओं पर विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 2577 /सी0 गोपालगंज, दिनांक 13 .10.2011

प्रतिलिपिः— सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोपालगंज जिला/ कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय गोपालगंज को सूचनार्थ एवं तदनुसार अपने कार्यालय में पंजियों/ संचिकाओं/ प्रतिवेदनों आदि का संधारण सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

(2)

समाहरणालय गोपालगंज

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक 2578 / सी0, दिनांक 13.10.2011

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज / हथुआ
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोपालगंज / हथुआ
सभी वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–प्रखंड के प्रभारी वरीय पदाधिकारी,
जिला–गोपालगंज।

विषय : साप्ताहिक बैठक आयोजित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रखंड स्तर पर संचालित होनेवाले विकास / कल्याण / राजस्व कार्यों के सफल कार्यान्वयन एवं उनकी समीक्षा हेतु निदेश है कि प्रत्येक सप्ताह में एक निर्धारित दिवस को प्रखंड मुख्यालय में साप्ताहिक बैठक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाता है। अतः इस माह के किसी बैठक में स्वयं उपस्थित रहकर उपर्युक्त कार्यों की समीक्षा एवं लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करें एवं एतद्संबंधी कृत कार्रवाई / अनुपालन से अवगत करावें।

विश्वासभाजन

(ह0) 13/10/11
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 2578 / सी0, दिनांक 13 .10.2011

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, गोपालगंज / अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 13/10/11
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।